

क्रमांक :- एफ.4(ई) / लिंक नं.-12844 / 2013 / अलेसे-III/3041 दिनांक :- 15-03-2022

कार्यालय आदेश

श्री गजेन्द्र कुमार मुण्डोतियां, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 12982-83 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा अग्रेषित आवेदन अनुसार दिनांक 15.03.2022 से 19.03.2022 तक भ्रमण हेतु विदेश (थाईलैंड) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगा।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/फैक्स न. आदि सूचित करेगा।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेगा।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेखों/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगा।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/ के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई) / लिंक नं.-12844 / 2013 / अलेसे-III/3041 दिनांक :- 15-03-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 12982-83 दिनांक 11.03.2022 के क्रम में।
2. उप निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर वेबसाइट में अपलोड हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री गजेन्द्र कुमार मुण्डोतियां, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)